राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक: प.9(2) शिक्षा–5/2010पार्ट

जयपुर, दिनांक: 6-5-201

:: आदेश ::

राज्य में संचालित निजी शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं के निराकरण के सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा शासन सचिव, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था । समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के परीक्षण के उपरान्त राज्य सरकार निम्न आदेश प्रसारित करती है:–

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो के संबंध में

1. आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता प्रकरणों का निस्तारण अधिनियम में वर्णित मान दण्डों के आधार पर किया जायेगा । यहाँ यह भी आदेशित किया जाता है कि कक्षा कक्षों की माप का निर्धारण प्रति बालक एक वर्गमीटर क्षेत्र मानकर कक्षा की छात्र संख्या के आधार पर किया जावें ।
2. खेल मैदान के संबध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.10.2012 के अनुसार कार्यवाही की जावे । इसके लिये सबंधित संस्था को खेल मैदान के उपयोग के लिये दी जाने वाले मैदान के बारे में मैदान का स्वामित्व रखने वाली संस्था/व्यक्ति का सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा । इस सहमति पत्र के आधार पर सक्षम अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करेगें ।

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयो के संबंध में

1. खेल मैदान/भूमि:–

गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को खेल मैदान की भूमि के संबंध में केवल पुराने विद्यालय अर्थात जिनको 31.8.2012 तक शिथिलन दिया गया था, को खेल मैदान के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था आरटीआई के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.10.2010 में दी गयी व्यवस्था अनुसार कार्यवाही की जावे । इसके लिये सबंधित संस्था को खेल मैदान के उपयोग के लिये दी जाने वाले मैदान के बारे में मैदान का स्वामित्व रखने वाली संस्था/व्यक्ति का सहमति पत्र प्रस्तुत करना होगा । इस सहमति पत्र के आधार पर सक्षम अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करेगें ।

नये विद्यालयों के मान्यता प्रकरण निर्धारित करते समय भवन एवं खेल मैदान हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिये 5000 वर्गमीटर एवं शहरी क्षेत्र के लिये 1000 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध होना अनिवार्य होगा ।

2. कक्षा–कक्षों की संख्या एवं माप:–

नवीन मान्यता लेने वाली गैर सरकारी माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं हेतु कक्षा–कक्षों का माप नामांकन के अनुसार प्रति बालक एक वर्गमीटर के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया जावेगा । प्रधानाध्यापक कक्ष, कार्यालय कक्ष, अध्यापक कक्ष, पुस्तकालय, वाचनालय कक्ष, एक विविध गतिविधियों हेतु कक्ष, स्टोर, विज्ञान हेतु प्रयोगशाला, शौचालय पृथक-पृथक छात्र–छात्राओं हेतु व्यवस्था, पीने के पानी की उपयुक्त व्यवस्था आवश्यक होगी । उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत विषयों के अनुसार कक्षा–कक्ष एवं प्रयोगशाला होना आवश्यक होगा । राज्य सरकार के पत्र दिनांक 14.8.12 द्वारा 31.8.2012 केपूर्व के संचालित विद्यालय पर शिथिलन लागू होगा । यह शिथिलन 31.8.2012 के बाद के मान्यता प्रकरणों पर लागू नहीं होगा ।

3. भूमि रूपान्तरण के संबंध में:–

स्कूल भवन की भूमि एवं खेल मैदान की भूमि का (अकृषि प्रयोजनार्थ/शैक्षिक प्रयोजनार्थ) रूपान्तरित करवाने हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 14.8.12 द्वारा 31.8.2012 के पूर्व के विद्यालयों को दिया गया शिथिलन यथावत रहेगा एवं दिनांक 31.8.2012 के बाद के नवीन मान्यता प्रकरणों के निरस्तारण के लिये भूमि का रूपान्तरण आवश्यक होगा ।

4. मान्यता शुल्क:–गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की शैक्षणिक सत्र 2013–14 में उप्रावि. से मावि., मावि.से उमावि. में क्रमोन्नति/मान्यता एवं अतिरिक्त संकाय विषय प्रारम्भ करने के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश प.9(2)शि–5/2010 पार्ट दिनांक 7.2.2013 द्वारा लागू की गई मान्यता शुल्क एवं आरक्षित कोष की राशि की निम्नप्रकार संशोधित की जाती है :–

स्तर	मान्यता शुल्क	आरक्षित कोष
माध्यमिक	10,000/–	50,000/–
उच्च माध्यमिक	15,000/–	70,000/–

आरक्षित कोष की राशि बालिका फाउण्डेशन जमा करानी होगी ।

5. मान्यता प्रकिया :–गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक) के मान्यता प्रकरणों के निस्तारण का पूर्ण दायित्व निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का होगा । इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा, बोर्ड अजमेर द्वारा पुन: निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि बोर्ड के ध्यान में यह आये कि कोई गैर सरकारी शिक्षण संस्था द्वारा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ती नहीं की जा रही है तो उसका पुन: सत्यापन निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर के माध्यम से करवाया जा सकेगा।

6. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधी विभिन्न शुल्कों का निर्धारिण निम्न प्रकार किया जाता है:-

विभिन्न सम्बद्धता शुल्क	शुल्क
अस्थाई सम्बद्धता शुल्क प्रपत्र "क" प्रस्तुत करने पर	
माध्यमिक स्तर पर / उच्च माध्यमिक स्तर पर	15,000/-
विलम्ब शुल्क	1000/-
अतिरिक्त विषय	
उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रपत्र "ख" प्रस्तुत करने पर	1500/-
विलम्ब शुल्क	दो माह बाद 150
स्थायी सम्बद्धता प्रपत्र "ग" प्रस्तुत करने पर	15,000/-
विलम्ब शुल्क	1000/-
भवन स्थान, माध्यम एवं नाम परिवर्तन शुल्क (प्रत्येक पर अलग-अलग)	
माध्यमिक स्तर पर	7000/-
उच्च माध्यमिक स्तर पर	10,000/-

नोट:- यदि पूर्व में बढा हुआ शुल्क किसी संस्था द्वारा जमा करा दिया गया है और यदि कोई संस्था वापस लौटाने की मांग करती है तो उस संस्था की अन्तर राशि समायोजित की जावे अथवा लौटा दी जावें।

उक्त आदेश की पालना सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें ।

-sd-
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
5. आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
8. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा ।
9. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग।
11. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव